

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक जुलाई, 2013

पत्र संख्या-1/एल1-10-15/2013 गृ0आ0 /विभागीय अधिसूचना संख्या 4034, दिनांक 24.05.2013 जिसके द्वारा 28.05.2013 से 21.06.2013 तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी गयी है के क्रम में श्री रविन्द्र कुमार, भा0पु0से0, अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 01.07.2013 तक उपार्जित अवकाश का अवधि विस्तार किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-15/2013 गृ0आ0 /पटना, दिनांक जुलाई, 2013
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-15/2013 गृ0आ0 /पटना, दिनांक जुलाई, 2013
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-1/एल1-10-15/2013 गृ0आ0 5764 /पटना, दिनांक 31 जुलाई, 2013
प्रतिलिपि:-अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ श्री रविन्द्र कुमार, भा0पु0से0, अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।